संख्या-222/2025/1005/001-23-9002-002/102/2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 01 दिसम्बर, 2025

विषय -वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-54 के अन्तर्गत 11 अद्द नई होण्डा सिटी(V MT R Manual BS-VI), 65 अद्द नई महिन्द्रा बोलेरो(NEO N10) तथा 73 अद्द महिन्द्रा बोलेरों(B4 BS 6.2) के क्रय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं-290/ए0पी0/33ए0पी0/94, दिनांक 11.06.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11 अद्द नई होण्डा सिटी(V MT R Manual BS-VI), 65 अद्द नई महिन्द्रा बोलेरो(NEO N10) तथा 73 अद्द महिन्द्रा बोलेरों(B4 BS 6.2) के क्रय किये जाने हेतु कुल रू0 14,86,49,050.00(रूपये चौदह करोड़ छियासी लाख उन्चास हजार पचास मात्र)की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं धनराशि के व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः-

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	लागत
1	2	3	4	5
1	HONDA CITY VMT R Petrol Manual BS-VI Pearl Colour (Including Basic Price, Transportation Charges, GST & Compensation Cess)	11	11,64,151.00	1,28,05,661.00
2	Mahindra Bolero NEO N10 OPT BS6.2 GeM NDP including Mark up (Diesel)	65	11,06,978.00	7,19,53,570.00
3	Mahindra Bolero B4 BS6.2 GeM NDP including Mark up (Diesel)	73	8,75.203.00	6,38,89,819.00
			कुल लागत	14,86,49,050.00

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) विभाग द्वारा सूक्ष्य, लघु एवं मध्य उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1/2015/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 22.05.2015 एवं शासनादेश सं0-58/2023/1621/18-2-2023/18-2099/372/2023-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 21.12.2023 में वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त दरें Government E-Market Place (GEM) के अनुसार है।

(4) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) विभाग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(6) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निष्प्रयोज्य किये गये वाहन शासकीय वाहन ही है तथा उनके सापेक्ष अभी तक रिप्लेसमेन्ट में कोई वाहन क्रय नहीं किया गया है।

(7) उक्त वाहन का क्रय वर्तमान सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों में दी गयी स्थायी व्यवस्था/आदेशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि केवल प्रश्नगत वाहन के क्रय पर ही व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,86,49,050 (रुपये चौदह करोड़ छियासी लाख उनचास हजार पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 054 **लेखा शीर्षक** 4070008000300 निदेशन **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-136-X-2025-26, दिनांक- 28 जुलाई, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या- उपरोक्त तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- मुख्य अभियन्ता(वि0/यां0) लो0नि0वि0, लखनऊ।
3- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- लोक निर्माण अनुभाग-10
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in